



85/11

पूर्णमल - अधीन अधिकाता लक्ष्मी वि. सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18-9-18	<p>पत्राधिकारी पेश। वकील अपीलान्त ने सम्बन्धित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अब अपील नोट प्रेस में रखा जाये जो नोट अपील वकील अपीलान्त से आयेगा पर नोट अपीलान्त से अपील नोट प्रेस में रखा जायेगा। अपीलान्त फर्क कर अपील अपीलान्त से नोट अपीलान्त की जाती है निर्णय करे हुए अपीलान्त प्रारम्भ फेसल शुमार होकर नम्बर में अपीलान्त बाहे भारतीय तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p>पूर्णमल अधिकासी एवं पदने अधिकासी</p>  <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>पाटी राई सहायता प्राप्त हो चुकी है इल लिख अपील आगे नही चल पाई है</p> <p>अधिकारी 18-9-18</p> <p>पदने अधिकासी</p> 

Web Copy - Not Official